शोध पत्र

"विद्यार्थियों में यौन शिक्षा जागरूकता का अध्ययन"

डॉ. सोनिका कक्कड़
पर्यवेक्षक

शालिनी तिवारी
पीएच.डी. शौधार्थी

कैरियर पॉइन्ट यूनिवर्सिटी, कोटा (राज.)

प्रस्तावना–

यौन शिक्षा का ज्ञान उतना ही जरूरी है, जितना कि दूसरे विषयों का ज्ञान होना जरूरी है। हमारे देश में कॉलेज तक में सेक्स एजुकेशन के बारे में नहीं बताया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप सेक्स एजुकेशन से जुड़ी भ्रान्तियाँ, सेक्स संबंन्धी अन्धविश्वास और इससे जुड़ी कई समस्याऐं उत्पन्न होती है। परम्परागत रूप से हमारी संस्कृति में किशोरों को यौन संबंधों के बारे में जानकारी नहीं दी जाती है वास्तव में इस मुद्दे पर बात करना भी वर्जित माना जाता है लोग मानते हैं कि शादी से पहले यौन क्रियाओं के बारे में जानना जरूरी नहीं होता है लेकिन समय बदलने के साथ ही यौन संबंधों को लेकर धारणा भी बदली है। W.H.O. के अनुसार 12 वर्ष और उससे अधिक उम्र के बच्चों पर यौन शिक्षा दी जानी अनिवार्य है। एक आंकड़े के अनुसार एच. आई. वी. संक्रमित व्यक्तियों में से 34% 1 से 19 आयु वर्ग के है।

विद्यार्थियों को यौन शिक्षा की आवश्यकता–

विभिन्न कारणों से सेक्स एजुकेशन की आवश्यकता है सेक्स शिक्षा काफी कारणों से महत्वपूर्ण है जैसे– किशोरावस्था, के समय किशोरों को शारीरिक रूप से अपने शरीर में होने वाले परिवर्तनों को जानना चाहिए। यह केवल सही सेक्स एजुकेशन प्रदान करने से संभव हो सकता है। गर्भावस्था, यौन संचारित रोग (एस टीडी) और मानव इम्यूनो वायरस (एचआईवी) के बारे में जागरूकता लाने के लिए सेक्स शिक्षा की आवश्यकता है ताकि युवा अधिक जिम्मेदार बन सकें। और सेक्स

के सम्बन्ध बेहतर निर्णय ले सके। विद्यार्थियों को यौन शिक्षा के बारे में सिखाना भी महत्वपूर्ण है।

यौन शिक्षा के द्वारा बच्चों में गुड टच और बैड टच पहचानने की समझ का विकास होता है। छात्रों को स्कूल में यौन शिक्षा देने से उनके ऊपर गहरा प्रभाव पड़ता है और उन्हें यौन समस्याओं की विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है।

भारत में क्यों जरूरी है यौन शिक्षा–

भारतीय समाज, में यौन जागरूकता पैदा करने के लिए सार्वजनिक स्थानों के बजाय घर के अंदर सेक्स पर चर्चा की जाती है वर्ष 1994 में जनसंख्या और विकास पर संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रिय सम्मेलन (आई सी पी डी) में भारत के किशोर और युवाओं के यौन प्रजनन अधिकारों की पुष्टि की गई थी। सम्मेलन में यह समझाया गया था कि किशोरावस्था और युवाओं के लिए उनके लिंगभेद और प्रजनन से संबंधित सभी मामलों पर मुक्त रूप से निर्णय लेने में सक्षम बनाने हेतु उन्हें लिंगभेद पर व्यापक शिक्षा की आवश्यकता होती है, इसलिए आई.सी.पी.डी. एजेंडा के तहत उनके द्वारा किये गये वादों को पूरा करने हेतु सरकार किशोरों और युवाओं के लिए मुफ्त और अनिवार्य व्यापक लैंगिक शिक्षा प्रदान करने के लिए स्कूलों को बाध्य कर रही है 2007 में भारत सरकार ने किशोर शिक्षा कार्य (ए.ई.पी) की शुरूआत की। हालांकि कई विरोधों और मोरल पुलिस ने इस कार्यक्रम के प्रकरण को 'अनुपयुक्त' ठहराया था और इस कार्यक्रम को अधिकांश राज्यों में प्रतिबंधित कर दिया गया था। यहाँ तक कि नकारात्मक सुर्खियों के बाद भी, यह कार्यक्रम उचित कार्यान्वयन के बिना चुनिंदा सरकारी/निजी स्कूलों में एईपी (किशोर शिक्षा कार्यक्रम) शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम में बॉडी इमेज, हिंसा और दुर्व्यवहार, लिंग और लिंगभेद यौन रोग जैसे संवेदनशील मुद्दों के शामिल किया गया।

सेंट्रल बोर्ड ऑफ सैकंडरी एजुकेशन (सी.बी.एस.ई.) ने 2005 में एक परिपत्र जारी किया था, किशोरावस्था प्रजनन और यौन स्वास्थ्य शिक्ष (ए.आर.एस.एच.) प्रोजेक्ट नामक एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। केन्द्र सरकार ने इसे

2006 में जारी किया और तब से कई राज्यों ने अपनी आवश्यकताओं के अनुसार कार्यक्रम में थोड़ा बदलाव करके इसे लागू किया है।

भारत में यह प्रश्न बना हुआ हैं कि क्या हम उस बिन्दु तक पहुँच गए हैं जहाँ हम आजादी से बिना किसी शर्म के यह शब्द बोल सकते है। दुर्भाग्य से, अधिकांश विद्यालयों में आज भी सेक्स शिक्षा केवल जलीय जंतु या जानवरों के उदाहरणों तक ही सीमित है। जब बात छात्रों के मध्य मानव सेक्स से संबंधित अध्ययन की आती है तो शिक्षक उसे बताने में संकोच करते हैं और सम्पूर्ण जानकारी के बजाय बहुत कम जानकारी छात्रों को प्रदान करते है कुछ स्कूल ही सेक्स शिक्षा के नाम पर स्वास्थ्य और स्वच्छता पर वर्कशॉप का आयोजन कर रहे है।

सेक्स शिक्षा का उद्देश्य–

- आजीवन यौन स्वास्थ्य को मजबूत आधार बनाए और यह संभव होता है किसी की पहचान, रिश्तों और अंतरंगता के बारे में सूचना और दृष्टिकोण, मान्यताओं और मूल्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करके।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा परिभाषित किया गया है कि यौन स्वास्थ्य को न केवल रोग या एक दुर्बलता हैं बाल्कि यौन–स्वास्थ्य का संबंध शारीरिक भावानात्मक, मानसिकता और सामाजिक कल्याण के रूप में भी माना जाता है।
- युवावस्थ में प्रवेश के कारण युवा अपने शारीरिक विकास और अपने व्यवहार में बदलावों का अनुभव करते हे, आमतौर पर, किशोरावस्था (12–19वर्ष) के दौरान इस सम्बन्ध में शिक्षा का प्रावधान एक महत्वपूर्ण युक्ति है।

भारत में समाज की बदलती गतिशीलता को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को वर्ष 2016 में लागू किया था, जो किशोरों के लिए स्कूलों में यौन शिक्षा के महत्व को सुरक्षा उपायों के रूप में स्वीकार करता है समय आ चुका है कि शिक्षकों द्वारा किशोरों को यौन शिक्षा की उचित जानकारी दी

जाए। क्योंकि यौन संबंध बनाने के लिए आधी–अधूरी जानकारी खतरनाक हो सकती हे और किशोरों को जागरूक और तैयार रहना बेहतर है।

यौन शिक्षा का महत्व–

अज्ञान से विकृत कौतूहल बढ़ता है और ज्ञान से विकृत कौतूहल कम होता है इस पंक्ति के संदर्भ में हम यौन शिक्षा के महत्व को समझ सकते है। आज समाज को परिस्थितियों और किशोरों को सही मार्गदर्शन की तलाश को देखते हुए यौन शिक्षा की जरूरत महसूस होती हैं आज से 100 साल पहले की बात करें तो पहले के रिवाज़ के मुताबिक लड़के–लड़कियाँ 15–16 या 14–15 वर्ा की आयु में विवाह बन्धन में बंध जाते थे। इसलिए शारीरिक विकास के बाद कुछ हफ्तों या कुछ वर्षों तक ही सामाजिक नियमों को पाबंदी रहती थी। अब युवाओं में 30 की उम्र तक शादी होती है पर सामाजिक अंकुश के नियम वैसे ही बने हुए है कुछ हफ्तों के लिए तो ऐसे नियमों का पालन किया जा सकता है लेकिन 15 साल तक ऐसे नियमों का पालन करना असंभव है यही वजह हैं कि अनचाहे गर्भ, एड्स जैसी महामारी और बलात्कार के प्रकरण हमारे देश में ज्यादा है।

हमें यह स्वीकार करना होगा कि अब बेहतर स्वास्थ्य और पोषण के कारण वयसंधि की आयु पहले से बहुत कम हो गई है। परिपक्वता भी अब जल्दी आ जाती है 11 से 13 वर्ष के किशोरा अब परिपक्व हो जाते है इसके अलावा अब चारों तरफ मीडिया के कारण उद्दीपन भी दिखाई देता है तो जहाँ एक और विवाह अधिक उम्र में हो रहे है वहीं वातावरण भावनाओं को जगाने वाला हो। जब हारमोन्स शरीर में कामेच्छा का बढ़ावा देंगे तो इस तरह के संबंध भी बनेंगे। इस समय की सामाजिक और जैविक समस्याओं का समाधान यौन शिक्षा के माध्यम से हो सकता है जब किशोर और युवा खुद को कामेच्छा और सामाजिक मूल्यों के पाठों के बीच पाते है तो निश्चित रूप से बहक सकते है ऐसे में वे कुंठित और परेशान भी रहते है बिना किसी मार्गदर्शन के वे गलत दिशा में आगे बढ़ सकते है और इसलिए उन्हें सही समझ देना बहुत जरूरी है।

किशोरों में यौन शिक्षा जागरूकता हेतु सुझाव–

विद्यार्थियों में यौन जागरूकता का पता लगाना हेतु स्वनिर्मित यौन शिक्षा जागरूकता मापनी को उपयोग किया गया है इस मापनी से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर कुछ विद्यार्थियों को सुझाव दिये जा सकते हैं।

- अभिभावक अपने बालकों के लिये परिवार को अधिक समय प्रदान करें तथा शिक्षक अपने छात्र–छात्राओं को पर्याप्त समय प्रदान करें।
- विद्यार्थियों में यौन शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए उपयुक्त शिक्षण विधियों की खोज की आवश्यकता है।
- यौन शिक्षा की समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए विद्यार्थियों का ऐसा माहौल होना चाहिए। जिसमें वह शिक्षकों से तथा अपने परिवारजन से आसानी से बात कर सके।
- यौन शिक्षा की विषय वस्तु को इस प्रकार तैयार करना चाहिए जिससे विद्यार्थियों को यौन शिक्षा के बारे में आसानी से समझ में आ जाये।
- विद्यालय स्तर पर यौन शिक्षा दी जाए जिससे बच्चों में जागरूकता का विकास हो सके और बच्चे मानसिक तनाव से भी दूर रह सकें।

वर्तमान में प्रासंगिकता–

प्रस्तुत शोध आलेख से किशोर विद्यार्थियों में किशोरावस्था में आने वाली समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए सही उम्र में उन्हें यौन शिक्षा दी जाए तथा यौन शिक्षा को पाठ्यक्रम में जोड़ा जाए।

संदर्भ –

- शर्मा आर. ए. – "शिक्षा अनुसंधान", मेरठ, लाल बुक डिपो।
- भटनागर, डॉ. आर. पी. एवं भटनागर मिनाक्षी– "शिक्षा अनुसंधान", मेरठ, लाल बुक डिपो।
- ढौढियाल एवं फाटक– "शैक्षिक अनुसंधान का विधि शास्त्र", जयपुर–राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी।
- पाण्डेय, रामशुक्ल– "शिक्षा मनोविज्ञान", आर. लाल बुक डिपो
- डॉ. वशिष्ठ– "विद्यालय संगठन एवं भारतीय शिक्षा की समस्याएँ"
- डॉ. कोठारी प्रकाश– "यौन शिक्षा से मिलेगी किशोरों को सही राह"